संख्या– 1702 /II(2)–2017–04(50)/2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 26 अगस्त, 2017

विषयः– नैनीताल झील के जल स्तर में हो रही कमी का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन आई0आई0टी0 रूड़की, एन0आई0एच0 रूड़की एंव आई0आई0एस0डब्लू0 संस्थाओं से कराये जाने के सम्बंध में संस्थाओं को भुगतान किये जाने वाली धनराशि की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या C-82/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (नैनीताल झील) दिनांक 11 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 अरूण कुमार, प्रोफेसर, आई0आई0टी0 रूड़की द्वारा नैनीताल झील के जल स्तर में हो रही कमी के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध करायी गयी संकलित कार्ययोजना रू0 73.83 लाख के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के धरोहर धनराशि के विषय में नियम–36, अग्रिम भुगतान हेतु नियम–18 एंव भारत सरकार की उक्त विशेषीकृत सरचनाओं से एकल स्रोत विषयक नियम–11 में उक्त नियमावली के नियम–71(4) के प्राविधान में छूट प्रदान करते हुए नैनीताल झील के सर्वेक्षण/अध्ययन हेतु उल्लिखित संस्थाओं को अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु रू0 73.83 लाख की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति, प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति एंव अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) व्यय करते समय वित्त विभाग के दिशा निर्देशों एंव बजट मेनुअल एंव मितव्ययता के अन्य दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम–18(2)(ख) नियम 71(4) के प्राविधानानुसार विशेष परिस्थितियों में परियोजना विशेष के दृष्टिगत 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप अग्रिम भुगतान की अन्य सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्यत किया जायेगा।

(iii) कार्य योजना के आधार पर टाईम शेडयूल, Delievables आदि की सूचना संसमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv) स्वीकृत धनराशि का संस्थावार भुगतान प्रमुख अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित संस्थायें पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी।

....2

(v) उक्त धनराशि का व्यय उक्त अध्ययन हेतु उपलब्ध करायी गयी समय सारिणी के अनुसार करके उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एंव कृत कार्यो का विवरण दिनांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों में छूट प्रकरण की तात्कालिकता एंव महत्ता को देखते हुए दी जा रहीं है और इसे अन्य मामलों के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य–03–निर्माण कार्य–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 671/XXVII(7)/2017, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1702 (1)/ II(2)–2017–04(50)/2015तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल /कुमॉऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. डा0 अरूण कुमार, प्रोफेसर आई0आई0टी0 रूड़की/नोडल अधिकारी
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।